उत्तराखण्ड सरकार
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड
मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून पिन : 248001
Email: crc.ddn99@gmail.com, दूरभाष: 0135–2669415, फैक्स : 2669384

Email - 20/09/23
महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

पत्राक : 4285 / 6–18 / 2022–23 सू0अधि0मैनु.रा0प0 / दिनांक : 19 सितम्बर, 2023

सेवा में,

1–आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल पौड़ी /
कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की **धारा–4** के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों के द्वारा अभिलेखों के स्वप्रकटीकरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून के पत्र संख्या 5678 / उ0सू0अ0 / 2022–23, दिनांक 28–8–2023(छाया प्रति संलग्न) जो समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड व अन्य को सम्बोधित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 आयोग द्वारा उल्लेख किया गया है कि श्री किशनचन्द्र जैन द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या 99.0 ऑफ 2021 दायर कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा–4** का अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त रिट पिटीशन के आदेश दिनांक 17–8–2023 में यथा केन्द्रीय सूचना आयोग और समस्त राज्य सूचना आयोगों को अधिनियम की धारा–25(5) के तहत समस्त लोक प्राधिकारियों से सूचना का अधिनियम 2005 की धारा–4 का अनुपालन कराये जाने हेतु अनुश्रवण किये जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही समस्त लोक प्राधिकारियों से कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन भारत सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार **अधिनियम, 2005 की धारा–4 के अन्तर्गत अभिलेखों का रख रखाव और उनके स्वप्रकटन किये जाने हेतु** जारी निर्देशों का भी अनुपालन कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। अभिलेखों के स्वःप्रकटीकरण हेतु कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1 / 6 / 2011 आई.आर. दिनांक 7–11–2019 का मुख्यतः अनुपालन कराए जाने के निर्देश दिए गये हैं। धारा–4 के अनुरूप अभिलेखों का रख–रखाव और सूचना का प्रकाशन–समेकित अनुदेश कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन भारत सरकार की वेबसाइट https://rti.gov.in पर clrculers पर क्लिक कर देखें / डाउन लोड किये जा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि सू0अ0 अधिनियम की **धारा–4 (1) (ख) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर मैनुअल अध्यावधिक / तैयार कर ऑनलाइन किये** जाने हेतु मा0 आयोग के निर्देशों के क्रम में पूर्व में भी परिषद् के ईमेल से प्रेषित पत्र संख्या 1863 / 6–18, दिनांक 20जुलाई, 2023 के द्वारा भी निदेशित किया गया है। आशा है आपके स्तर पर मण्डलीय कार्यालय / जिलाधिकारी–लोक प्राधिकारी कार्यालय स्तर तक का विभागीय मैनुअल अध्यावधिक कर तैयार करवा लिया गया होगा।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि मा0 सूचना आयोग द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों का अपने स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर राजस्व विभाग से संबंधित मण्डलीय कार्यालय/लोक प्राधिकारी–जिलाधिकारी कार्यालय स्तर तक विभागीय मैनुअल अध्यावधिक करवाकर ऑनलाइन/अभिलेखों के स्वप्रकटीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या मा0 आयोग व परिषद् को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक–यथोपरि।

(चन्द्रेश कुमार)
आयुक्त एवं सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून।
2– स्टाफ आफीसर/उप राजस्व आयुक्त(भूमि व्यवस्था)/सहायक राजस्व आयुक्त(प्रशासन) राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून को भी इस आशय से प्रेषित कि परिषद् कार्यालय स्तर पर अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत अभिलेखों के रख–रखाव व स्वप्रकटीकरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद
18/09/23